

संख्या सूची जाँच 3a – पृष्ठ) बिक्री की जहाजों भारतीय 1 का 3) परिवर्तन में स्वामित्व

No.	<u>मामला 1. है आवश्यकता की दस्तावेजों गए दिए नीचे लिए के चलाने आगे को मालिक भारतीय अन्य किसी</u>	/हां नहीं
1	होगी करनी जमा प्रति पावती इसकी और चाहिए जाना दिया पता पूरा और नाम का क्रेता है। आवश्यक देना नोटिस को रजिस्ट्रार और डीजीएस से ओर की विक्रेता और क्रेता	
2	प्रति की 'ज्ञापन समझौता' लिए के बेचने/खरीदने जहाज	
3	* 'बिल बिक्री' केवल को व्यक्ति किसी के कंपनी और विवरण का खरीदारों ,संकल्प बोर्ड मूल हस्ताक्षरित द्वारा (निदेशकों दो या) सचिव कंपनी से ओर की विक्रेता लिए के बेचने को जहाज है। आवश्यक करना अधिकृत लिए के करने हस्ताक्षर पर	
4	संख्या फॉर्म लिए के मालिकों संयुक्त/व्यक्तियों - है जाता दिया द्वारा रजिस्ट्रार प्रपत्र निर्धारित) बिल मूल का बिक्री से क्रेता 8; संख्या फॉर्म लिए के कंपनी 9) अपेक्षित साथ के मुहर सामान्य चाहिए। जाना किया उल्लेखित पदनाम और नाम का गवाह और हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत चाहिए। होना हस्ताक्षरित में उपस्थिति की गवाहों दो तथा है	
5	(लिए के कंपनी) 'घोषणा की स्वामित्व' को व्यक्ति किसी और विवरण का विक्रेताओं ,संकल्प बोर्ड मूल का क्रेता हस्ताक्षरित द्वारा (निदेशकों दो या) सचिव कंपनी लिए के खरीदने जहाज का विक्रेताओं ,हलफनामा नोटरीकृत पर पेपर स्टाम्प हस्ताक्षरित द्वारा मालिकों संयुक्त सभी / मालिक व्यक्तिगत में संबंध के खरीद की जहाज / करना अधिकृत लिए के करने हस्ताक्षर पर संख्या की शेरों मौजूद पास के मालिक प्रत्येक और विवरण (10 नोटिस एमएस) ।(से में 11 ऑफ 2015 एक्ट शिपिंग मर्चेण्ट को जहाज वाले स्वामित्व के फर्मों साझेदारी अनुसार के, 1958 है सकता जा किया नहीं पंजीकृत पर नाम के फर्म तहत के प्रावधान के)	

पूर्वोक्त बिना चाहिए। होनी लगी मुहर और हस्ताक्षरित विधिवत द्वारा व्यक्ति अधिकृत के कंपनी केवल फोटोकॉपी की दस्तावेज़ भी किसी संलग्न/संलग्न अनुसार के चेकलिस्ट - :नोट जाएंगे। किए नहीं स्वीकार द्वारा कार्यालय इस दस्तावेज़ भी कोई के मुहर और सत्यापन

	है वैकल्पिक करना अनुपालन का निम्नलिखित तो है चाहता बदलना नाम का जहाज मालिक नया यदि:- की 'ज्ञापन समझौता' ही साथ ,होंगे करने प्रस्तावित को शिप ऑफ रजिस्ट्रार (साथ के अनुवाद हिंदी) नाम तीन में क्रम वरीयता पर हेड लेटर के कंपनी लिए के बेचने/खरीदने जहाज को मालिक (अ होगी। देनी भी प्रति संख्या कॉलम नीचे) प्रारूप निर्धारित में (भाषा स्थानीय दूसरा और अंग्रेजी एक) पत्रों समाचार प्रमुख दो में इलाके के कार्यालय पंजीकृत के कंपनी को क्रेता (ब 6 देना विज्ञापन में (है गया दर्शाया में होगा। करना प्रस्तुत पत्र समाचार मूल और होगा के विज्ञापन यदि (क 10 तो है पर तट भारतीय जहाज यदि जिसे ,जाएगा किया जारी नोट 'अंकन और नक्काशी' एक तो ,है जाती की नहीं दर्ज आपत्ति कोई समक्ष के रजिस्ट्रार भीतर के दिनों अधिकृत विधिवत या सदस्य आईएसीएस किसी ,सर्वेक्षक के आईआरएस ,अधिकारी कांसुलर तो है में विदेश जहाज यदि या होगा जाना किया समर्थित और सत्यापित द्वारा सर्वेक्षक एमएमडी होगा। जाना किया समर्थित और सत्यापित द्वारा प्राधिकारी. है। जाना किया वापस को रजिस्ट्रार करके पृष्ठांकित विधिवत नोट एम एंड सी मूल (ड है गई दी में पंक्ति निम्न सामग्री हेतु विज्ञापन में पत्रों समाचार (इ <u>परिवर्तन नाम का जहाज</u> (नाम का जहाज में अक्षरों बड़े) नाम जिसका हैं मालिक के जहाज / है खरीदा जहाज एक (आईडी मेल-ई और नंबर फैक्स और टेलीफोन ,कोड पिन ,पता डाक पूरा और नाम का मालिक) मने से तारीख की विज्ञापन इस उसे तो ,है आपत्ति कोई को किसी अगर हैं। चाहते करना (नाम नया में अक्षरों बड़े) बदलकर नाम का जहाज हम है। (बंदरगाह पंजीकरण) () संख्या आधिकारिक 10 दिनों है सकता जा किया सूचित भीतर के; रजिस्ट्रार के जहाजों भारतीय नं .बी.पी ,भवन विभागप्रतिष्ठा समुद्री मर्केटाइल. 11096, 101, मुंबई ,रोड.के.एम 400 020. नं टेलीफोन. 022 -2203 98 81 फैक्स 022- 2201 33 07. ईमेल: REGN.MUM-MMD@GOV.IN, MUMBAI@MMD.GOV.IN रु रसीद भुगतान कोष भारत (फ.1500/- होनी लगी मुहर और हस्ताक्षरित विधिवत द्वारा व्यक्ति अधिकृत द्वारा कंपनी केवल फोटोकॉपी की दस्तावेज़ भी किसी संलग्न/संलग्न अनुसार के चेकलिस्ट - :नोट जाएंगे। किए नहीं स्वीकार द्वारा कार्यालय इस दस्तावेज़ भी कोई के मुहर और सत्यापन पूर्वोक्त बिना चाहिए।	
6	संख्या प्रपत्र निर्धारित लिए के व्यक्तियों) 'घोषणा की स्वामित्व' समक्ष के प्राधिकारी सक्षम अधिकृत द्वारा उसके/रजिस्ट्रार द्वारा व्यक्ति अधिकृत के खरीदार 3/प्रपत्र लिए के स्वामियों संयुक्त संख्या 4/संख्या प्रपत्र लिए के कंपनी 5) पूर्ण कि जैसे) चाहिए जानी बताई से रूप स्पष्ट संख्या की शेषों चाहिए। जाने किए हस्ताक्षर पर/10 से में 10/1(आदि दस सभी	
7	प्रति की कार्ड आधार के व्यक्तियों/व्यक्ति अधिकृत लिए के करने हस्ताक्षर पर घोषणा की स्वामित्व में उपस्थिति की रजिस्ट्रार.	

पूर्वोक्त बिना चाहिए। होनी लगी मुहर और हस्ताक्षरित विधिवत द्वारा व्यक्ति अधिकृत के कंपनी केवल फोटोकॉपी की दस्तावेज़ भी किसी संलग्न/संलग्न अनुसार के चेकलिस्ट - :नोट जाएंगे। किए नहीं स्वीकार द्वारा कार्यालय इस दस्तावेज़ भी कोई के मुहर और सत्यापन

8	200 दल-चालक को मालिक तो है सशर्त .सी.ओ.एन यदि है। आवश्यक लेना (.सी.ओ.एन) पत्र प्रमाण अनापत्ति से मास्टर शिपिंग से विक्रेता लिए के जहाजों वाले वजन अधिक उससे और .टी.जी होमा। देना हलफनामा एक में पेपर स्टाम्प में बारे के क्षतिपूर्ति से देयता भी किसी को रजिस्ट्रार जहाज और भुगतान के बेतन को अधिकारियों और	
9	200 तो है सशर्त .सी.ओ.एन यदि (ए :नोट) है। आवश्यक लेना .सी.ओ.एन से (.सी.एफ.पी.एस) आयुक्त निधि भविष्य नाविक से विक्रेता लिए के जहाजों के वजन अधिक उससे और .टी.जी वचन यह तथा जाएगी की क्षतिपूर्ति से देयता भी किसी को रजिस्ट्रार और जाएगा किया भुगतान उसका तो है बकाया कोई यदि कि जाएगा कहा यह जिसमें होमा देना हलफनामा एक को मालिक पत्र एक से .सी.एफ.पी.एस ,हैं आती नहीं अंतर्गत के अनुच्छेदों जो में मामले के कंपनियों उन (बी) जाएगा किया पूरा विधिवत द्वारा कंपनी को शर्तों ऐसी उल्लिखित में .सी.ओ.एन कि होमा देना नहीं। या है शर्त कोई में .सी.ओ.एन क्या कि जाएगा बताया यह जिसमें जाएगा किया प्राप्त	
10	i) हलफनामा एक पर पेपर स्टाम्प लिए के करने क्षतिपूर्ति से देयता भी किसी को रजिस्ट्रार द्वारा मालिक तो ,हैं सशर्त एनओसी से आयुक्त निधि भविष्य नाविक और मास्टर शिपिंग यदि चाहिए। जाना किया प्रस्तुत (संलग्न नमूना) जाएगा किया पूरा विधिवत द्वारा कंपनी को शर्तों उल्लिखित में एनओसी कि वचनबद्धता एक और (200 ।(लिए के जहाजों के ऊपर से जीआरटी ii) चाहिए। जाना किया प्रस्तुत (संलग्न नमूना) हलफनामा पर पेपर स्टाम्प (200 ।(लिए के जहाजों के नीचे से जीआरटी	
11	एनओसी से प्राधिकारियों नौसेना में संबंध के समर्पण के दस्तावेजों नौसेना (500 लिए के जहाजों वाले जाने विदेश के अधिक उससे और जीटी)	
12	।(है सकता जा बनाया से सिरे नए पर नाम के खरीदार और है सकता जा किया समाप्त को बंधक मौजूदा) चाहिए। होना नहीं बंधक बकाया कोई पर जहाज समय के हस्तांतरण	
13	रद्द भीतर के अवधि की महीने एक से तारीख की करने जारी प्रमाणपत्र रजिस्ट्री संशोधित नए को प्रमाणपत्र रजिस्ट्री मौजूदा कि है आवश्यकता की प्रमाणपत्र रजिस्ट्री मूल से उपक्रमकर्ता/विक्रेता जाएगा। दिया कर समर्पित लिए के करने	
14	है। जाना किया प्रस्तुत (पर पृष्ठ मुख्य ,साथ के प्रति की प्रमाणपत्र निगमन के कंपनी जारी द्वारा रजिस्ट्रार के कंपनी) नियम के संस्था और ज्ञापन का कंपनी क्रेता	
15	जीटी) है गई दी कर प्रेषित को डीजीएस पावती मूल की प्राप्ति ऐसी और है गया हो प्राप्त (सीएसआर) रिकॉर्ड सारांश सतत मूल से विक्रेता को क्रेता कि साक्ष्य का बात इस>300 लिए के)	
16	होगा। करना प्रस्तुत प्रमाणपत्र दायित्व सिविल मूल :लिए के टैंकरों	
17	दिन पहले से तिथि की करने अधिग्रहण/सौंपने - होगा देय जुर्माना तो ,नहीं यदि) साक्ष्य। का परिवर्तन कमांड अंतिम समर्थित से रूप विधिवत द्वारा मएमडी 1000/- आवेदन को रजिस्ट्रार + रुपये लिए के दिनों शेष तक तिथि की करने प्रस्तुत 50/- लिए के परिवर्तन प्रत्येक के कमांड + प्रतिदिन रुपये 250/- रुपये)	
18	रु रसीद भुगतान कोष भारत. 1500/-	

नोटिस एमएस (ए :नोट 11, 2015 एक्ट शिपिंग मर्चेट को जहाज वाले स्वामित्व के फर्मों साझेदारी अनुसार के, 1958 पर प्रस्ताव के बोर्ड * है। सकता जा किया नहीं पंजीकृत पर नाम के फर्म तहत के प्रावधान के फॉर्म) मॉर्गेज ,हालांकि है। जाता दिया नहीं जोर पर सील कॉमन 11), नंबर आइटम ऊपर) सेल ऑफ बिल ,अटॉर्नी ऑफ पावर 4 कॉमन पर दस्तावेजों वाले होने लागू लिए के करने निष्पादित को कामों जैसे आदि (देखें बदलने नाम (सी है। सकता कर सूचित को शिप ऑफ रजिस्ट्रार तदनुसार वह तो ,है चाहता रखना नंबर एमएमएसआई और साइन कॉल ,नंबर आधिकारिक ,नाम का जहाज मालिक नया यदि (बी जाएगी। लगाई सील नंबर लिस्ट चेक अलग एक प्रक्रिया की 10 है। गई दी में

पूर्वोक्त बिना चाहिए। होनी लगी मुहर और हस्ताक्षरित विधिवत द्वारा व्यक्ति अधिकृत के कंपनी केवल फोटोकॉपी की दस्तावेज़ भी किसी संलग्न/संलग्न अनुसार के चेकलिस्ट - :नोट जाएंगे। किए नहीं स्वीकार द्वारा कार्यालय इस दस्तावेज़ भी कोई के मुहर और सत्यापन